(b) to (d). Yes, Sir.

(e) The publisher have been instructed not to publish such advertisements in future.

प्रिवी पर्स पाने वाले भूतपूर्व नरेशों से आयकर की बकाया राशि की वसूली

*411. **श्री कैयूर भूषण :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रिवी पर्स की समाप्ति से पूर्व ऐसे कितने भूतपूर्व नरेश थे जिन्हें 1 लाख रुपये से अधिक राशि के प्रिवी पर्स मिल रहे थे;

(ख) उन पर विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय करों की कितनी राशि बकाया है;

(ग) इस बकाया कर की राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस प्रकार की बकाया राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) ऐसे 102 भूतपूर्व भारतीय नरेश थे जो वर्ष 1971 से पूर्व अर्थात् प्रिवी पर्स की समाप्ति से पूर्व प्रतिवर्ष एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक का प्रिवी पर्स ले रहे थे।

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि "केन्द्रीय करों" शब्दों से आयकर, धन-कर, दान-कर तथा सम्पदा-शुल्क का उल्लेख होता है। ऐसे भूतपूर्व भारतीय नरेशों में से प्रत्येक की ओर कर की बकाया पड़ी रकमों के संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठी करने में काफी समय और श्रम लगेगा। लेकिन, इस समय उन नरेशों में से ऐसे नरेशों के बारे में सूचना उपलब्ध है जिनमें से प्रत्येक की ओर 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार कर की बाकी पड़ी मांगें 10 लाख रुपये से अधिक की थीं। 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार बाकी पड़ी ऐसी मांगों के योग इस प्रकार से थे :—

(लाख रुपयों में)

	मामलों की संख्या	सकल मांग	देय नहीं बनी मांग	शुद्ध बकाया
आय-कर	5	140.95	57.84	83.11
धन-कर	17	1947.17	988.26	958.91
दान-कर	3	211.68	31.73	179.95
सम्पदा-शुल्क	4	160.71	30.12	130.59

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 तथा अन्य प्रत्यक्ष-कर कानूनों में करों की बकाया की वसूली के लिए विभिन्न उपायों की व्यवस्था है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, कर की वसूली/उगाही के लिए सम्बन्धित कर अधिकारियों द्वारा समय समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

(घ) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, बाकी पड़े करों की वसूली/घटौती के लिये आयकर प्राधिकारियों द्वारा, विभिन्न प्रत्यक्ष-कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार, समय समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। लेकिन, ये उपबन्ध करों की वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते। जबकि प्राप्त करों को यथासंभव शीघ्रता से वसूल करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उनकी पूरी वसूली/घटौती के लिए, जो विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।